



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 230 राँची, शुक्रवार,

21 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-87/2017-19757 (HRMS)--श्री प्रदीप कुमार महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-309/20, गृह जिला- राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा सदर के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3249, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने एवं विकास योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने, मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति पंचायत सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध शून्य मानव दिवस सृजन, शत-प्रतिशत मजदूरों को डी०बी०टी० के माध्यम से मजदूरी के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 69% मजदूरों को ही डी०बी०टी० के माध्यम से मजदूरी भुगतान, कुल 1832 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 555 पर ही कार्य प्रारंभ, शत प्रतिशत जॉब कार्ड का सत्यापन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 34% जॉब कार्ड का सत्यापन, पूर्व की मनरेगा योजनाओं को पूर्ण कर बन्द करने के विभागीय निदेश के उल्लंघन करने संबंधी एवं अन्य आरोप प्रतिवेदित किया गया हैं ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-6934(hrms), दिनांक 17.07.2020 द्वारा श्री महतो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-164, दिनांक 28.02.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री महतो के विरुद्ध आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कुल-10 आरोपों में से आरोप सं0- 5, 7, 8 एवं 9 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। श्री महतो के विरुद्ध गठित आरोप, इनका बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-3701, दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्री महतो से द्वितीय कारण पृच्छा की गई है, जिसके अनुपालन में उनके पत्रांक-360/रा0, दिनांक 02.07.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है-

आरोप सं0-5 पर जवाब- इनका कहना है कि मनरेगा योजना में योजना का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात् ही ग्राम की योजना कार्यरूप लेती है। मनरेगा योजना के अभिलेख में कब ग्राम सभा की गई एवं उस ग्राम सभा में यह योजना लिया गया है या नहीं का उल्लेख होता है तथा उसकी छायाप्रति भी संलग्न रहती है। मनरेगा योजना के किसी भी योजना जैसे कि डोभा का निर्माण सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसी प्रखण्ड को कितना लक्ष्य विभाग द्वारा दिया गया है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि लाभुकों ने ग्राम सभा में यह योजना ली है या नहीं। डोभा, जो कि व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जिसका कार्यान्वयन लाभुकों के रैयती (जमाबंदी जमीन) पर किया जाना है, जिसमें लाभुक की रजामंदी जरूरी होती है। डोभा निर्माण योजना को मनरेगा द्वारा संचालित मिट्टी मोरम सड़क जैसी योजना को सरकारी गैरमजरूआ भूमि पर नहीं बनाया जाता है। आरोपित अवधि 2016-17 में ग्राम पंचायतों द्वारा गढ़वा सदर प्रखण्ड में कुल 555 डोभा निर्माण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। लक्ष्य से कम योजना उपलब्ध होने के कारण को जानने का इन्होंने प्रयास किया तो पता चला कि गढ़वा सदर का अधिकांश पंचायत शहरी प्रकृति की है तथा महंगी है। शहरी एवं महंगी भूमि पर मनरेगा के डोभा निर्माण योजना के प्रति लोगों की रुचि का अभाव पाया गया। जल संचयन एवं भू-जलस्तर बनाये रखने वाली इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में लोगों को जानकारी देने एवं प्रोत्साहित करने के बाद ही 555 डोभा निर्माण की योजना प्राप्त की जा सकी एवं किसी भी व्यक्ति के द्वारा योजना के लाभ से वंचित रहने का आरोप नहीं लगाया गया है। मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2016-17 में गढ़वा सदर प्रखण्ड को दिये गये लेबर बजट के लक्ष्य के विरुद्ध 200 प्रतिशत से कही अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया था। यह तथ्य उनके मनरेगा योजना के प्रति समर्पित भाव को दिखाता है। इनका यह भी कहना है कि उनके पूरक बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य/ प्रतिक्रिया में कहा गया है कि 13.10.2020 के MIS प्रतिवेदन के अनुसार 1271 डोभा का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, का भी जिक्र है (संचालन पदाधिकारी के जाँच एवं निष्कर्ष में अंकित)। ये जुलाई 2016 से अगस्त 2017 तक गढ़वा सदर प्रखण्ड में पदस्थापित थे। अक्टूबर 2020 का समय इनके पदस्थापन अवधि की नहीं है। अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 के बीच में नई एवं पुराने योजनाएँ संचालित हो रही होगी। इस संबंध में ये अनभिज्ञ हैं ।

आरोप सं0-7 पर जवाब- इनका कहना है कि पूर्व से लंबित योजनाओं के साथ-साथ 2016-17 में PMAY(G) की भी योजना मनरेगा योजना में जुड़ गयी थी। PMAY(G) का लेबर पार्ट का भुगतान मनरेगा के द्वारा होना शुरू हुआ, जिसमें मनरेगा योजना में लंबित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गयी। लंबित/अपूर्ण योजनाओं को बंद करने से पूर्व योजना की उपादेयता, योजना में किये गये भुगतान, योजना के पूर्ण होने में लगने वाले समय तथा योजना से क्या लाभ होगा, को देखा जाता है। अपूर्ण योजना बंद करने से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति ली जाती है तथा साथ ही मापन पुस्तिका (MB) में अभियंता द्वारा बंद (Close) कर हस्ताक्षर किया जाता है। उनके द्वारा योजनाओं की समीक्षोपरांत 63.35% अपूर्ण एवं लंबित योजनाओं को पूर्ण कर MIS में बंद कर दिया गया था। कुछ पूर्व की योजनाएँ 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बंद नहीं करने के संबंध में उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य/प्रतिक्रिया में असहमति व्यक्त की गई है तथा उनके प्रयास को सिर्फ 2016-17 की लंबित योजनाओं के संबंध में देखा गया। पूर्व में ली गई योजनाएँ जैसे कुआँ को भुगतान करने के पूर्व बंद नहीं किया जा सकता है। लंबित योजना को कम करने का प्रयास (63.35% योजनाओं पूर्ण करना) उनके पदस्थापन अवधि का है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा अपने पूरक मंतव्य/प्रतिक्रिया में कहा गया है कि 13.10.2020 के MIS के अनुसार 1133 योजनाओं को पूर्ण कर बंद नहीं किया गया (संचालन पदाधिकारी के जाँच एवं निष्कर्ष का अंश)। ये जुलाई 2016 से अगस्त 2017 तक गढ़वा सदर प्रखण्ड में पदस्थापित थे। अक्टूबर 2020 का समय उनके पदस्थापन अवधि का नहीं है। अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 के बीच में नई एवं पुराने योजनाएँ संचालित हो रही होगी। इस संबंध में ये अनभिज्ञ हैं ।

आरोप सं0-8 पर जवाब- इनका कहना है कि उनके बचाव बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य/प्रतिक्रिया में यह कहा गया है कि इन्होंने आरोप को स्वीकार किया है। इसलिए इस पर वे कोई मंतव्य देना मुनासिब नहीं समझते और इसे ही संचालन पदाधिकारी द्वारा मान लिया गया है। इस संबंध में इनका कहना है कि दिनांक 22.07.2016 को ये गढ़वा सदर प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में ये योगदान दिये। योगदान के समय में ही गढ़वा सदर का Delay Payment 46.31 प्रतिशत हो चुका था। उनके द्वारा लगातार अनुश्रवण एवं ससमय मजदूरी भुगतान के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में Delay Payment घट कर 19 प्रतिशत रह गयी। पद ग्रहण से पूर्व में हो चुके Delay Payment को उसी वर्ष के अंत में शून्य नहीं किया जा सकता था। चूँकि यह तथ्य आनलाईन में दिख रहा है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसे आरोप के स्वीकार के रूप में देखा गया। इस तथ्य को, जो उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, उसे आरोप माना जा रहा है। इस तथ्य को इनके द्वारा एक उदाहरण द्वारा रखा गया है। अगर 100 रुपया खर्च हुआ है और तथा उसमें से 46 रुपया राशि Delay Payment की गई है अर्थात् 46 प्रतिशत राशि Delay Payment हुई है (उनके प्रभार ग्रहण से पूर्व)। 46 रुपया हमेशा Delay Payment के रूप में वर्ष तक रहेगा। 46 रुपया जो 46 प्रतिशत के रूप में Delay Payment हो चुका था। इसे 19 प्रतिशत में लाने के लिए 242 रुपया खर्च करना होगा। $242 \text{ का } 19\% = 46$ अर्थात् Delay Payment के प्रतिशत में घटोतरी तभी होगा जब आगे से सभी भुगतान सही समय

पर किये जाये। अर्थात् $242-100 = 142$ रूपया, सही समय पर भुगतान किया गया। 46 प्रतिशत Delay Payment को 19 प्रतिशत लाना उनकी उपलब्धि है। उनके पदस्थापन के बाद 2016-17 के अंत तक Delay Payment की न तो प्रतिशत में वृद्धि हुई और न ही रकम में। इसे इनकी कार्य के प्रति अक्षमता के रूप में समझा गया तथा आरोप आरोपित किया गया है। इस आरोप को ये पूर्णतः अस्वीकार करते हैं तथा कहा है कि यह आरोप उन पर बनता ही नहीं है, क्योंकि किसी अन्य द्वारा पूर्व अवधि में किये गये कार्य का आरोप उन पर भूतलक्षी प्रभाव से आरोपित करना न्यायसंगत नहीं है।

आरोप सं0-9 पर जवाब- इनका कहना है कि वर्ष 2016-17 में PMAY(G) को नये स्वरूप में प्रारंभ किया गया था। गढ़वा सदर प्रखण्ड को वर्ष 2016-17 में PMAY(G) में पूरे झारखण्ड प्रांत में सबसे ज्यादा लक्ष्य प्राप्त हुआ। जियो मनरेगा में STAGE-1 के Asset Geo Tag के लिए MIS से Asset ID Create करना पड़ता था। एक ही कम्प्यूटर ऑपरेटर होने के कारण Geo Tag की प्रगति कम थी। साथ ही 2016-17 PMAY(G) योजना में समन्वयक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं दिया गया था। गढ़वा सदर प्रखण्ड में कुल 22 पंचायत में 6 पंचायत सेवक उस अवधि में कार्यरत थे। PMAY(G) का Geo Tag अत्यावश्यक था, इस कारण से उपलब्ध सीमित संसाधन द्वारा मनरेगा योजना द्वारा सृजित Asset के Geo Tag को प्राथमिकता न देते हुए PMAY(G) का Geo Tagging 97 प्रतिशत करने के उपरांत मनरेगा के तहत सृजित Asset की Geo Tag पर ध्यान दिया गया। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा मंत्रव्य/प्रतिक्रिया में पुनः 13.10.2020 के MIS प्रतिवेदन के अनुसार 75 प्रतिशत परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग किया गया है, कहकर गलत बयानी कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया है। अक्टूबर 2020 का समय उनके पदस्थान अवधि का नहीं है। ये जुलाई 2016 से अगस्त 2017 तक गढ़वा सदर प्रखण्ड में पदस्थापित रहे हैं। दिनांक 13.10.2020 के तिथि का MIS प्रतिवेदन का बार-बार उल्लेख कर एवं इसको आधार बनाकर उनके द्वारा रखे जा रहे पक्ष, बचाव बयान तथा तथ्यों से असहमति व्यक्त की गई है, जो न्यायोचित नहीं है।

इनका कहना है कि दिये गये बयान को उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंत्रव्य/प्रतिक्रिया एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच एवं निष्कर्ष की पुनः समीक्षा की जाय। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसी तरह के आरोप के मामले में कई पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रपत्र-‘क’ गठित किया गया था, जिसे विभाग द्वारा उन्हें पूर्व में आरोप मुक्त किया गया है। चूंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, किसी खास तिथि के आँकड़ों को तथ्य मानकर उनके कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाय। अपने पदस्थापन अवधि में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया तथा योजनाओं के सभी पैरामीटर पर अच्छी स्थिति प्राप्त की। दिये गये लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयासरत रहे हैं। उनके द्वारा किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता या सरकारी राशि की गड़बड़ी नहीं की गयी है। इसलिए असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्तावित दण्ड का अधिरोपण नहीं करते हुए आरोप मुक्त की जाय।

श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री महतो द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में विभागीय कार्यवाही के दरम्यान संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखे गये तथ्यों को दोहराया गया है। उनके द्वारा कोई विशेष नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मनरेगा योजनाओं के चयन प्रक्रिया को एवं शहर की महंगी रैयती जमीन को डोभा योजना के लक्ष्य अनुरूप उपलब्धि नहीं होने बताया है। श्री महतो द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसी तरह के आरोप के मामले में कई पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रपत्र-‘क’ गठित किया गया था, जिसे विभाग द्वारा उन्हें पूर्व में आरोप मुक्त किया गया है। श्री महतो का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है। मुख्य सचिव महोदय के समीक्षा दिनांक 20.04.2017 के क्रम में उक्त तिथि के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर श्री महतो के विरुद्ध सभी आरोप गठित की गई है, किन्तु उनके द्वारा दिनांक 20.04.2017 के बाद के तिथि के प्रतिवेदन को आधार बनाया गया है।

संचालन पदाधिकारी आरोप सं0-5, 7, 8 एवं 9 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय समीक्षा में पाया गया कि आरोप सं0-1 के जवाब में दिनांक 24.05.2017 एवं आरोप सं0-3, 4 एवं 5 में दिनांक 27.07.2017 के प्रतिवेदन को आधार बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि आरोप गठन से पूर्व मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में उनके द्वारा अभिरुचि नहीं ली जा रही थी।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित है, कि ग्रामीणों के द्वारा रुचि नहीं लिये जाने एवं महंगी भूमि होने के कारण ग्रामीण डोभा निर्माण योजना का लाभ नहीं ले रहे थे। यह कथन इसलिए भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि बाद के वर्षों में भी काफी संख्या में डोभा का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014-15 एवं उसके पूर्व का 14 योजनाएँ, वर्ष 2015-16 का 201 योजनाएँ एवं वर्ष 2016-17 का 2701 योजनाएँ लंबित रहने एवं आरोपी पदाधिकारी के कार्यकाल में Delay payment 19% रहने तथा मनरेगा अन्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों का मात्र 5% Geo Tagging होने के कारण आरोप सं0-7, 8, एवं 9 के संदर्भ में समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त डाटा एवं आंकड़ा आरोप गठन के समय MIS Data पर आधारित है एवं उक्त डाटा (आंकड़ा) को अप्रमाणित करने हेतु उनके द्वितीय कारण पृच्छा में कोई ठोस आधार समर्पित नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रदीप कुमार महतो, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा सदर, गढ़वा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRADEEP KUMAR MAHTO 111003186522	श्री प्रदीप कुमार महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-309/20, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गढ़वा सदर संप्रति-अंचल अधिकारी, नारायणपुर, जामताड़ा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रदीप कुमार महतो, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
